

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश

विज्ञापन संख्या

ए-1/इ-1/2002

सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा, 2002

डाक घर द्वारा आवेदन पत्र विक्रय की तिथि - 25 जनवरी 2003

आयोग द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अन्तिम तिथि - 21 फरवरी 2003

अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना

विज्ञापन आयोग के वेबसाइट <http://www.uppsc.org> पर भी उपलब्ध है।

2. उच्च परीक्षा के मा एम आर आवेदन पत्र परम्परागत आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित का संलग्न है।
7(2) में निर्धारित डाक घरों से मूल्य के अनुसार पर उपलब्ध सामान आवेदन पत्र के मा एम आर के साथ निम्नलिखित सामान, फस पिछड़ा वर्ग तथा अन्य राज्य के अभ्यर्थियों (समाज के विकलांग एवं अक्षम) के मूल्य रु० 215/- तथा मा एम आर सीरीज (उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति एवं समाज के विकलांग हेतु) का मूल्य रु० 125/- होगा। मूल्यपूर्व सैनिकों के लिए आवेदन पत्र का मूल्य उनकी मुख्य श्रेणी के अनुसार होगा।

3. आरक्षण सम्बन्धी निर्धारित पत्र तथा अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश (अथवा तब तक प्रकाशित न हो सके पर आवेदन पत्र तथा परम्परागत आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध करवाये जायेंगे।

4. उच्च परीक्षा उत्तर प्रदेश इलाहाबाद उत्तर प्रदेश आयोग के शाखा में सहायक अभियोजन अधिकारी के 57 पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के चयन हेतु वर्ष 2003 में आयोग द्वारा इलाहाबाद तथा लखनऊ में निर्धारित केन्द्रों पर एक प्रत्येक विभागीय परीक्षा का आयोजन करेगा। एक 57 पदों में से सामान्य की 27 अनुसूचित जाति की 13 तथा अन्य पिछड़े वर्ग की 17 रिक्तियाँ हैं।

5. जाति की प्रमाणित तथा केन्द्र आवंटित कर अभ्यर्थियों का सम्मानपूर्वक सूचित किया जायेगा। जाति की प्रमाणित प्रमाणित होने पर तथादशक परामर्शक परीक्षा में कसई जा सकती है।

2. रिक्तियों की संख्या असामान्य परिस्थितियों में घट बढ़ सकती है।

3. आरक्षण : हीनज आरक्षण समाज के विकलांग, अक्षम तथा समाज सन्तानों के आरक्षण के लिए आवेदन पत्रों में संश्लेषण अभ्यर्थियों को अद्यतन शारणादेशों के अनुसार देय होगा।

नोट : (1) आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी आवेदन पत्रों में निर्धारित आरक्षण पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर अपनी प्रमाणित आवेदन पत्रों में आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।

2) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थियों को चयन पत्र प्राप्त होने तक चयन पत्र प्राप्त नहीं दी जायेगी।

3) उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमत्या नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य जनजातियों के समान निर्धारित आवेदन पत्र जमा करें तथा आरक्षण हेतु आवेदन न करें। (4) उत्तर प्रदेश के बाहर के उच्च परीक्षा समाज श्रेणियों के आश्रित एवं महिलारक्षों को आरक्षण अनुमत्या नहीं है।

4. न्यूनतम आयु - 6500-10500

5. शैक्षिक अर्हताएं : आवेदन पत्र प्राप्त की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों को उच्च परीक्षा के मा एम आर के मा एम आर के मा एम आर से भी उपलब्ध कराया जायेगा।

6. उपाधि उत्तर प्रारित करना चाहिए।

अवकाश अर्हता : उच्च परीक्षा के चयन होने पर एम आर अभ्यर्थियों का उच्च परीक्षा दिया जायेगा। उच्च परीक्षा के चयन होने पर एम आर अभ्यर्थियों का उच्च परीक्षा दिया जायेगा। उच्च परीक्षा के चयन होने पर एम आर अभ्यर्थियों का उच्च परीक्षा दिया जायेगा।

6. आयु : (i) अभ्यर्थियों को 01 जुलाई 2002 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करना चाहिये तथा 35 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् उनका जन्म 02.07.1967 से पूर्व तथा 01.07.1981 के बाद का नहीं होना चाहिए।

स्वपुमाविर

4

अधिकांश एवं सत्र न्यायाधीश/एन.डी.सी. न्यायाधीश
शिक्षा के विरुद्ध अपराधों के निवारण हेतु विधिक
कानपुर नगर